न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1335/एक/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-5-2005 पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 164/2004-05 अपील

1- रामकुमार पुत्र बाबूलाल
2- श्रीमती शॉति पत्नि बाबूलाल
ग्राम इकहरा तहसील गोहद
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- बच्चनलाल पुत्र सामले
2- श्रीमती विमला पत्नि बच्चनलाल
3- श्रीमती रामदुलारी पत्नि लज्जाराम
4- मनीराम पुत्र श्रीराम
5- श्रीमती रामकली पत्नि मनीराम
6- रामनारायण पुत्र श्रीराम
7- श्रीमती रामकली पत्नि रामनारायण
सभी ग्राम इकहरा तहसील गोहद जिला भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री के.एस.सेंगर)

अ ा दे श

(आज दिनांक 5 - 11 -2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 164/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 18.5.05 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है तहसीलदार गोहद ने प्रकरण

क्रमांक 24/2001-02 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 22-5-2002 से मौजा इकहरा स्थित भूमि का बंटन अनावेदकगण को किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, गोहद के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 107/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-8-2004 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 164/2004-05 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 18-8-2005 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा अपील क्रमांक 164/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 18-8-2005 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अपील अग्राह्य की है एंव अपील को सुनवाई योग्य नहीं माना है। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा अपील क्रमांक 164/2004-05 के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी, गोहद व्दारा प्रकरण क्रमांक 107/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-8-2004 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष दिनांक 12.8.2005 को लगभग 11 माह 25 दिन वाद अपील प्रस्तुत हुई है । अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदकगण

व्दारा अपर आयुक्त न्यायालय में नियुक्त वकील ने उन्हें 10-8-2005 को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान की, जिसके कारण उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी यथासमय नहीं हो सकी, जबकि अपर आयुक्त के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जो प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है उसके पीठ पृष्ठ अनुसार आवेदक रामकुमार ने प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 18.8.2004 को आवेदन प्रस्तुत किया है तथा दिनांक 25-8-2004 को उसे प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई है इसके वाद अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में अभिभाषक व्दारा प्रमाणित प्रतिलिपि समय पर न देने का बताया गया तथ्य अविश्वसनीय हो जाता है जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 164/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 18.5.05 से अपील अवधि-वाह्य प्रस्तुत होना मानने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 164/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 18.5.05 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर